मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
//सकारण आदेश//

दिनांक 24/11/2018

क्रमांक 986/1611/2018/38–3 माननीय उच्चतम न्यायालय में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष करने बाबत् दायर याचिका क्रमांक S.L.P. 31968-31969 में दिनांक 01.11.18 को आदेश पारित किया है कि :–

पैरा–1 In case of the teachers, who had approached the High Court intially and had obtained interim orders to continue, from the learned single Judge are not in service as of now and in case they have not attained the age of 65 years, they shall be forthwith permitted to rejoin duty and continue till they complete 65 years of age, making it subject to the result of the special leave petitions.

पैरा–2 We are informed that despite our orders dated 28-08-2018, the teachers who are working are not paid their salary. We make it clear that in case the teachers, who are actually working, are not paid their salary, they shall be entitled to interest @36% per day and the officers/officials responsible for the non-payment will be personally liable for the same and that amount shall be recovered for their salary.

उपरोक्त आदेश के संबंध में पैरा–वार लेख है कि शैक्षणिक संवर्ग का नियुक्तिकर्ता संबंधित महाविद्यालय का शासी निकाय है। इसी प्रकार उनको सेवानिवृत्त भी संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा ही किया जाता है। विभाग द्वारा जारी सकारण आदेश क्रमांक 1283/716/2018/38–3 दिनांक 19.07.18 में स्पष्ट किया गया है कि अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष के बाद अथवा 65 वर्ष के मध्य की गई सेवा अवधि के लिये संबंधित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय की प्रबंधन समिति ही वेतन भुगतान के लिये उत्तरदायी रहेगी। इस संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक W.A. 717/14 में माननीय उच्च न्यायालय ने गुण दोषों के आधार पर दिनांक 16.09.14 को निर्णय पारित किया है कि "That being so, no case warranting reconsideration is made out, If the petitioner is entitled to continue in service by grant of extension after attaing in the age of superannuation, it is for the Appropriate Authority to consider the same and take a decision on the said claim of the petitioner. In view of the above finding no ground to interfere, the appeal is dismissed. इसी प्रकार डब्ल्यू ए क्रमांक 950/2015 (डॉ. एस.सी. जैन विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में मान. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है कि "However, if the appellant has worked by virtue of an interim order beyond the age of 62 years, he shall be entitled to salary for the period he has actually worked beyond the age of 62 years, which shall be payble by the Management of the Private Insitution in terms of the interim order passed in some of the writ petitions, including Writ Petition No. 14230/2010.

निरंतर...2..

इसी प्रकार **पैरा–2 के संबंध में लेख है कि** ऐसे शैक्षणिक अधिकारी जो कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, किंतु 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है एंव उनसे संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा निरंतर शैक्षणिक कार्य लिया जा रहा है; इस संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. के आदेश क्रमांक 680/34/अनुदान/बजट/2016 भोपाल, दिनांक 30.04.16 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के संबंध में दायर की गई याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 17373/11 (एस) में पारित अंतरिम आदेश में भी निर्देशित किया गया है कि "Keeping in view the order dated 14/10/11, passed in W.P. No.17373/11(s) and finding claim of the petitioner to be at per with the same respondents are directed to permit the petitioner to work till he attains the age of 65 years and the salary to the petitioner shall be paid by the Management of the Institution and the State Govt. shall not be burdened with payment of salary. इस प्रकार समस्त महाविद्यालयों के शासी निकायों के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रसारित अद्यतन सकारण आदेश क्रमांक 1283/716/2018/ 38–3 दिनांक 19.07.18 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष के बाद अथवा 65 वर्ष के मध्य की गई सेवा अवधि के लिए संबंधित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय की प्रबंधन समिति को ही वेतन भुगतान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी मानते हुए यथासमय निर्देशित किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का समयावधि में पालन न करने पर दाण्डिक ब्याज के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के अनुसार शैक्षणिक अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु निर्धारित करना संबंधित राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है उन्हें 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निरंतर रखा जाये। इस अवधि में सेवानिवृत्त कर दिये गये शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों को संबंधित महाविद्यालय की प्रबंधन समिति कार्यभार ग्रहण करावे तथा वेतन भत्ते आदि का पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार भुगतान करे। **उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 30.11.18 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल में नाम से
तथा आदेशानुसार

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर...2..

पृ.क्रमांक 987/1611/2018/38–3 दिनांक 24/11/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकन हेतु अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/माननीय राज्य मंत्रीजी, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि एंव विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. ग्वालियर।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. समस्त अध्यक्ष, शासीनिकाय/प्रशासक,समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. समस्त शिक्षाधिकारी/प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र.।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र।
13. कोषालय अधिकारी, कोषालय/उप कोषालय, म.प्र.।
14. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, न्यायालयीन प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. आई.टी. सेल प्रभारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग